**भारत सरकार**

**पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 24**

**24.11.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल की कमी**

**24- Mkñ Vhñ ,uñ lhek%**

D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k dsjy ds fofHkUu Hkkxksa lesr ns'k ds fiNM+s vkSj tutkrh; cgqy xzkeh.k {ks=ksa esa is;ty dh Hkkjh deh gS(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj ,sls {ks=ksa dh jkT;&okj@la?k jkT;&okj la[;k fdruh gS( vkSj

¼x½ ns'k Hkj ds ,sls {ks=ksa esa is;ty dh O;oLFkk djus gsrq dsUnz ljdkj }kjk D;k dne mBk;s tk jgs gSa] ckjgoha iapo"khZ; ;kstuk vof/k ds nkSjku bl iz;kstu gsrq fdruh fuf/k;ka o"kZ&okj] jkT;&okj@la?kh; {ks=&okj vkcafVr@tkjh dh xbZ gSa\

**उत्तर**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री**

**(श्री बीरेन्द्र सिंह)**

(क) और (ख) मंत्रालय बसावटों के लिए ही पेयजल आपूर्ति वाली ग्रामीण आबादी के कवरेज के बारे में डाटा का रखरखाव करता है। इस संबंध में पिछड़ेपन के आधार पर कोई डाटा नहीं रखा जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पेयजल की कमी है। पीने के पानी की कमी वाली एक ग्रामीण बसावट को इस प्रकार की बसावट के रूप में परिभाषि‍त किया जा सकता है जिसमें संपूर्ण आबादी को प्रति दिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर की सीमा तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसी बसावटों को आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें कहा जाता है। इसी प्रकार से ऐसी बसावटें जहाँ पानी, रासायनिक संदूषकों अथवा जीवाणुजनित संदूषकों के माध्यम से संदूषित है वे गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के रूप में वर्गीकृत हैं। मंत्रालय के पास ऑन लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) है जिसमें राज्यों ने पर्याप्त और पीने योग्य पेयजल आपूर्ति की कवरेज के संदर्भ में ग्रामीण बसावटों की स्थिति को पूर्णतः कवर की गई, आंशिक रूप से कवर की गई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के रूप में दर्शाते हुए सूचना दी है। केरल राज्य के संबंध में पूर्णतः कवर की गई बसावटों, आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की स्थिति अनुलग्नक-I पर दी गई है।

जहाँ तक अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों का संबंध है, जैसा कि राज्य द्वारा मंत्रालय के समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित किया गया है, केरल राज्यो में अनुसूचित जनजाति बहुल 40 बसावटें हैं। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II और III पर दिया गया है।

(ग) ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के प्रयासों को समर्थन देने हेतु, केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति करके और अधिक बसावटों को कवर करने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्य सरकारों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों के चयन, आयोजना तथा कार्यान्वयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। मंत्रालय ने एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों से पाइप द्वारा जलापूर्ति की और अधिक स्कीमें शुरू करने का आग्रह किया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु वर्ष और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित/ रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-IV पर दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
| **अनुलग्नक-I** |
| **दिनांक 19.11.2014की स्थि‍ति के अनुसार केरल राज्य की पूर्णत: कवर की गर्ह, आंशि‍क रूप से कवर की गई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का ब्यौरा**  |
| **दिनांक 24.11.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.24 के भाग (क)के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक** |
| **क्र.सं.**  | **जिला**  | **कुल**  | **पूर्ण रूप से कवर**  | **आंशि‍क रूप से कवर**  | **गुणवत्ता प्रभावित**  |
| **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  |
| 1 | आलप्‍पुजा  | 808 | 441 | 264 | 103 |
| 2 | एरनाकुलम  | 875 | 659 | 202 | 14 |
| 3 | इडुक्‍की | 617 | 76 | 518 | 23 |
| 4 | कन्नूर  | 625 | 130 | 426 | 69 |
| 5 | कसारगौड  | 476 | 18 | 386 | 72 |
| 6 | कोल्‍लम | 1023 | 226 | 737 | 60 |
| 7 | कोट्टायम | 888 | 201 | 685 | 2 |
| 8 | कोजीकोड  | 883 | 118 | 675 | 90 |
| 9 | मलप्पुरम  | 1438 | 242 | 1141 | 55 |
| 10 | पालाक्‍कड | 1136 | 125 | 816 | 195 |
| 11 | पतनामथि‍ट्टा  | 640 | 97 | 531 | 12 |
| 12 | तिरूवनन्तपुरम | 1038 | 426 | 591 | 21 |
| 13 | त्रिसूर | 1077 | 563 | 457 | 57 |
| 14 | वायनाड | 359 | 100 | 236 | 23 |
| **कुल**  | **11883** | **3422** | **7665** | **796** |

|  |
| --- |
| **अनुलग्नक -II****दिनांक (01/04/14) की स्थि‍ति के अनुसार ग्रामीण बसावटों (अनुसूचित जनजाति बहुल)की स्थ‍िति** |
|  |

**दिनांक 24.11.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 24 के भाग (ग)के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य**  | **कुल**  | **पूर्ण रूप से कवर**  | **आंशि‍क रूप से कवर**  | **गुणवत्ता प्रभावित**  |
|  |  | **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  | **बसावट की संख्या**  |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7603 | 3620 | 3889 | 94 |
| 2 | बिहार | 1766 | 811 | 788 | 167 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 49978 | 41186 | 5620 | 3172 |
| 4 | गोवा | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | गुजरात | 14633 | 13417 | 1139 | 77 |
| 6 | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 3242 | 2572 | 670 | 0 |
| 8 | जम्मू एवं कश्मीर | 2930 | 1420 | 1509 | 1 |
| 9 | झारखण्ड | 55352 | 53041 | 2302 | 9 |
| 10 | कर्नाटक | 2516 | 1237 | 1155 | 124 |
| 11 | केरल | 40 | 1 | 36 | 3 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 55771 | 54238 | 307 | 1226 |
| 13 | महाराष्ट्र | 17505 | 15973 | 1439 | 93 |
| 14 | ओडिशा  | 57600 | 37167 | 18276 | 2157 |
| 15 | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | राजस्थान | 21697 | 16314 | 3967 | 1416 |
| 17 | तमिलनाडु | 2706 | 2578 | 127 | 1 |
| 18 | तेलंगाना | 7560 | 4106 | 3140 | 314 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 808 | 806 | 0 | 2 |
| 20 | उत्तराखण्ड | 1230 | 1208 | 22 | 0 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 9175 | 4731 | 3769 | 675 |
| 22 | अरूणाचल प्रदेश | 7005 | 2240 | 4699 | 66 |
| 23 | असम | 17507 | 7636 | 7702 | 2169 |
| 24 | मणिपुर | 2257 | 1712 | 545 | 0 |
| 25 | मेघालय | 9007 | 1867 | 7097 | 43 |
| 26 | मिजोरम | 769 | 333 | 436 | 0 |
| 27 | नागालैंड | 1504 | 490 | 977 | 37 |
| 28 | सिक्किम | 816 | 363 | 453 | 0 |
| 29 | त्रिपुरा | 4750 | 1663 | 328 | 2759 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार | 91 | 41 | 50 | 0 |
| 31 | चंडीगढ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दादर और नगर हवेली | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 33 | दमन एवं दीव | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | दिल्ली  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप  | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 36 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल**  |  | **355949** | **270821** | **70523** | **14605** Bottom of Form |

|  |
| --- |
| **अनुलग्नक-III** |
| **दिनांक 24.11.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 24 के भाग (ख)के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक** |
| **क्र.सं.**  | **राज्य का नाम**  | **अनुसूचित जनजाति****(बसावटों की संख्या)** |
|  |  | **दिनांक 01.04.2014 की स्थि‍ति के अनुसार**  | **लक्ष्य**  | **उपलब्ध‍ि** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7603 | 381 | 164 |
| 2 | बिहार | 1766 | 152 | 68 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 49978 | 7018 | 2953 |
| 4 | गोवा | 50 | 0 | 0 |
| 5 | गुजरात | 14633 | 1192 | 203 |
| 6 | हरियाणा | 0 | 0 | 0 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 3242 | 85 | 44 |
| 8 | जम्मू एवं कश्मीर | 2930 | 130 | 50 |
| 9 | झारखण्ड | 55352 | 6454 | 1890 |
| 10 | कर्नाटक | 2516 | 515 | 305 |
| 11 | केरल | 40 | 0 | 0 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 55771 | 5037 | 2928 |
| 13 | महाराष्ट्र | 17505 | 676 | 166 |
| 14 | ओडिशा  | 57600 | 7550 | 2245 |
| 15 | पंजाब | 0 | 0 | 0 |
| 16 | राजस्थान | 21697 | 442 | 50 |
| 17 | तमिलनाडु | 2706 | 56 | 25 |
| 18 | तेलंगाना | 7560 | 552 | 289 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 808 | 3 | 2 |
| 20 | उत्तराखण्ड | 1230 | 28 | 6 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 9175 | 421 | 212 |
| 22 | अरूणाचल प्रदेश | 7005 | 232 | 104 |
| 23 | असम | 17507 | 1934 | 184 |
| 24 | मणिपुर | 2257 | 141 | 88 |
| 25 | मेघालय | 9007 | 404 | 52 |
| 26 | मिजोरम | 769 | 80 | 9 |
| 27 | नागालैंड | 1504 | 117 | 120 |
| 28 | सिक्किम | 816 | 58 | 27 |
| 29 | त्रिपुरा | 4750 | 810 | 454 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह  | 91 | 0 | 0 |
| 31 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दादर और नगर हवेली | 66 | 0 | 0 |
| 33 | दमन एवं दीव | 6 | 0 | 0 |
| 34 | लक्षद्वीप  | 9 | 0 | 0 |
|  | **कुल**  | **355949** | **34468** | **12638** |

|  |
| --- |
| **अनुलग्नक -IV** |
| **दिनांक 24.11.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 24 के भाग (ग) के उत्तर में उल्ल‍िखि‍त अनुलग्नक**  |
| **12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनआरडीडब्लूपी के तहत वित्तीय आबंटन और रिलीज का विवरण (करोड़ रू. में)** |
| **क्र.सं.**  | **राज्य/संघराज्य क्षेत्र**  | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15 (दिनांक 19.11.2014 की स्थि‍ति के अनुसार)** |
|  |  | **आबंटन**  | **रिलीज**  | **आबंटन**  | **रिलीज**  | **आबंटन**  | **रिलीज**  |
| **1** | आंध्र प्रदेश | 563.39 | 485.14 | 635.44 | 631.52 | 334.03 | 163.77 |
| **2** | बिहार | 484.24 | 224.3 | 432.38 | 338.95 | 483.81 | 187.36 |
| **3** | छत्तीसगढ़ | 168.89 | 148.64 | 136.13 | 135.2 | 163.83 | 88.66 |
| **4** | गोवा | 6.07 | 0.03 | 5.5 | 0 | 5.31 | 0 |
| **5** | गुजरात | 578.29 | 717.47 | 533.73 | 515.07 | 532.40 | 261.34 |
| **6** | हरियाणा | 250.24 | 313.41 | 229.46 | 229.52 | 239.28 | 166.17 |
| **7** | हिमाचल प्रदेश | 153.59 | 129.9 | 138.51 | 130.81 | 150.93 | 69.28 |
| **8** | जम्मू एवं कश्मीर | 510.76 | 474.5 | 462.43 | 414.82 | 508.01 | 226.63 |
| **9** | झारखण्ड | 191.86 | 243.43 | 172.85 | 243.29 | 195.11 | 90.46 |
| **10** | कर्नाटक | 922.67 | 869.24 | 868.75 | 897.29 | 588.28 | 440.67 |
| **11** | केरल | 193.59 | 249.04 | 155.58 | 212.04 | 129.73 | 115.12 |
| **12** | मध्य प्रदेश | 447.33 | 539.56 | 404.80 | 474.95 | 446.55 | 209.85 |
| **13** | महाराष्ट्र | 897.96 | 846.48 | 788.47 | 690.27 | 778.15 | 139.21 |
| **14** | ओडिशा  | 243.91 | 210.58 | 227.35 | 317.07 | 227.80 | 190.13 |
| **15** | पंजाब | 101.9 | 144.27 | 96.89 | 147.95 | 87.03 | 42.85 |
| **16** | राजस्थान | 1352.54 | 1411.36 | 1231.05 | 1332.49 | 1357.17 | 1236.89 |
| **17** | तमिलनाडु | 394.82 | 570.17 | 273.63 | 387.11 | 351.39 | 293.37 |
| **18** | तेलंगाना | - | - | - | - | 198.93 | 97.12 |
| **19** | उत्तर प्रदेश | 1060.87 | 980.06 | 923.19 | 794.93 | 896.14 | 340.24 |
| **20** | उत्तराखण्ड | 159.74 | 74.28 | 145.58 | 87.61 | 154.95 | 42.06 |
| **21** | पश्चिम बंगाल | 523.53 | 502.36 | 490.63 | 485.83 | 442.32 | 210.76 |
| **22** | अरूणाचल प्रदेश | 145.32 | 223.22 | 201.23 | 237.32 | 78.63 | 71.81 |
| **23** | असम | 525.71 | 659.21 | 470.00 | 514.98 | 554.96 | 478.85 |
| **24** | मणिपुर | 69.99 | 66.21 | 58.76 | 55.3 | 73.95 | 40.9 |
| **25** | मेघालय | 73.96 | 97.61 | 92.18 | 103.4 | 55.02 | 48.74 |
| **26** | मिजोरम | 48.35 | 47.92 | 38.42 | 44.89 | 45.51 | 15.73 |
| **27** | नागालैंड | 110.25 | 110.2 | 56.66 | 61.07 | 80.81 | 52.97 |
| **28** | सिक्किम | 36.69 | 32.36 | 16.88 | 26.56 | 25.75 | 24.85 |
| **29** | त्रिपुरा | 70.66 | 100.59 | 59.29 | 89.93 | 66.67 | 61.7 |
| **30** | अंडमान एवं निकोबार | 1.15 | 0.78 | 1.04 | 0.09 | 0.99 | 0.44 |
| **31** | चंडीगढ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | दादर और नगर हवेली | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | दमन एवं दीव | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | दिल्ली  | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | लक्षद्वीप  | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | पुदुचेरी | 1.75 | 0.88 | 1.59 | 0.06 | 1.86 | 0 |
|  | **कुल**  | **10290.02** | **10473.2** | **9348.40** | **9600.32** | **9255.30** | **5407.93** |